न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(कल्पना अग्रवाल,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 08 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 18.02.2025

जरिये महेन्द्र चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय टोक
– प्रार्थी

बनाम

मै. साहू टी स्टोल एण्ड मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड के पास उनियारा टोक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–
1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय दिनांक 31.07.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.2025 को प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जाँच हेतु मैसर्स साहु टी स्टोल एण्ड मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड के पास उनियारा, टोंक मौके पर पहुंचे। मौके पर धरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायियक उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायियक कार्य हेतु उपयोग एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है।घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण उक्त 1 सिलेण्डर मौके पर जब्त कर निरीक्षण प्रपत्र मय अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र0सं0	एस. आर नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	6987	HPCL	14.2	15.4	21.3	5.9
						5.9
2						

जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 5.9 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 13.02.2025 को प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जाँच हेतु मैसर्स साहु टी स्टोल एण्ड मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड के पास उनियारा, टोंक मौके पर पहुंचे। मौके पर धरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायियक उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यवसाययिक कार्य हेतु उपयोग एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है।घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण उक्त 1 सिलेण्डर मौके पर जब्त कर निरीक्षण प्रपत्र मय अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। मौके पर उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि श्री पिन्टू साहू द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया जिसके बारे में कोई साक्ष्य उनके द्वारा मौके पर नहीं दिये गये। अतः 1 गैस सिलेण्डर को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु गौमती सुधा गैस एजेन्सी उनियारा के प्रतिनिधि श्री भास्कर चतुर्वेदी उनियारा की सुपुर्दगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मागे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नहीं करे। उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 5.9 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 13.02.2025 के अनुसार मै. साहू टी स्टोल एण्ड मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड के पास उनियारा टोक की दुकान/ व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 Kg क्षमता के 01 सिलेण्डर मिला। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर व्यवसायिक कार्य मे प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र0सं0	एस. आर नं.	कम्पनी क नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	6987	HPCL	14.2	15.4	21.3	5.9
2						5.9

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर मुकेश,भास्कर चतुर्वेदी तथा पिन्टू साहू के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी मुकेश,भास्कर चतुर्वेदी तथा पिन्टू साहू के हस्ताक्षर है तथा गौमती सुधा गैस एजेन्सी उनियारा के प्रतिनिधि श्री भास्कर चतुर्वेदी के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से व्यवसायिक कार्य मे प्रयुक्त कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 01 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 5.9 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)